सम्मान अभियान का शुभारम्भ

मालपुरा। रविवार को भारत विकास परिषद अध्यक्ष ज्ञानचन्द जैन की अध्यक्षता मे परिषद की मासिक बैठक आयोजित की गई। अध्यक्ष ज्ञानचन्द जैन ने बताया कि वर्तमान समय मे लोग दिखावे के लिये बफर खाना व अन्य कई प्रकार के नये-नये आयोजन कर अन्न देवता की अनदेखी कर रहै है। बडी मात्रा मे भोजन व्यर्थ मे फैंका जा रहा है। समय रहते भोजन के अनादर को रोकना बैहद जरूरी है। इसके लिये जनजाग्रति चलाई जायेगी। भोजन का संरक्षण अतिआवश्यक है। परिषद मे भोजन संरक्षण एंव सम्मान अभियान का शुभारम्भ करते हुये संयोजक शशिकांत पाठक को मनोनीत किया व टीम मे दिनेश विजय, लोकेश लोदी को शामिल किया गया।

तीये की बैठक

अत्यन्त दुःख के साथ सूचित करते है कि मेरी धर्मपत्नी **श्रीमती ऊषा देवी** का आकस्मिक निधन 17.05.2025 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 19.05.2025 को सांय 5 से 6 बजे तक ओम शिव महिमा गार्डन फकीरा नगर बैनाड रोड पर होगी।

शोकाकुल- नाथूलाल सैनी (पति) रामरतन, कैलाशचन्द, बोदूराम, श्रीनारायण (चाचाससुर) अर्जुनलाल, सुवालाल (ज्येष्ठ) डॉ. सुनील, राकेश, गिरधारी, मोहनलाल, सुरेश (देवर) विशाल, गौरव, डॉ. राहुल, डॉ. कुनाल (पुत्र) डॉ. तनुप्रिया (पुत्री) लक्ष्मी- रोशन (पुत्री-दामाद) जीविधा, माही (पौत्री) एवं समस्त राजोरिया परिवार

9314657368, 9950670680

'खैरथल में सरकारी कार्यालय अपने भवनों में कब शुरू होंगे स्पष्ट करें'

- भूमाफियाओं के द्वारा की गई चिन्हित जमीन व रजिस्ट्री की जांच कराए सरकार - जूली
- प्रेस वार्ता कर पूर्व केंद्रीय मत्री और प्रतिपक्ष नेता ने भाजपा सरकार पर खैरथल के विकास को रोकने का आरोप लगाया

खैरथल। केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह व प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने खैरथल में संयुक्त प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए खैरथल जिले के साथ सौतेला व्यवहार करने के आरोप लगाएं। उन्होंने सरकार से पूछा है खैरथल में सरकारी कार्यालय अपने भवनों में कब शुरू होंगे और क्यों नहीं हो रहें स्पष्ट करें जिससे खैरथल को लेकर फैले भ्रम व अफवाहो पर विराम लग सके।

पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार बडी योजनाओं के केवल सपने दिखाती है, धरातल पर कुछ नहीं है। सिंह ने कहा कि यह सरकार विकास की नहीं बल्कि विनाश की सरकार है। हरियाणा एवं दिल्ली के भू माफियाओं का प्रवेश अब खैरथल क्षेत्र में हो गया है।

उन्होंने कहा सरकार स्पष्ट करें जिला मुख्यालय घोषित होने के बाद भी खैरथल जिले के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि जिला मुख्यालय पर सरकारी कार्यालय अपने भवन में कब संचालित होंगे ताकि अफवाहों और गरीब की ठगी पर रोक लग सके।उन्होंने कहा बाहर के भूमाफिया आकर जिला मुख्यालय घोषित होने के बाद यहां जमीनों की बंदर बाट कर रहे हैं। अलवर सांसद और केंद्र में मंत्री पीएम के साथ बैठते हैं लेकिन क्षेत्र के लिए उन्होंने क्या किया है स्पष्ट करें। सिंह ने कहा कोटकासिम में बनने वाले इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट को सरकार ने कैंसिल कर क्षेत्र के विकास को रोका है।इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि खैरथल के विकास के लिए पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार से लड़ाई लड़ेगा।उन्होंने कहा कि कांठोस सरकार का ऐतिहासिक फैसला खैरथल को जिला बनाने की सौगात के रूप में रहा है।जूली ने कहा राजस्थान प्रदेश की सरकार ने खैरथल को निरस्त करने का पूरी कार्यवाही की थी लेकिन विपक्ष के दबाव में कैंसिल नहीं कर पाए। खैरथल जिला घोषित होने के बाद भूमाफिया जनता को बड़े-बड़े सपने दिखाकर गरीब जनता को लूटने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इसमें दिल्ली के भूमाफियाओं के साथ कुछ नेता भी शामिल है।

उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कहा कि ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच कर कर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए कही जनता की जमीनों का घोटाला तो नहीं किया जा रहा। जूली ने कहा कि केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद खैरथल को चंडीगढ़ बनाने का बयान दे रहे थे अब तक क्या प्रयास हुए सरकार के भी पूरे डेढ़ वर्ष हो गए हैं स्पष्ट करें। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पिछले दिनों में भूमाफियाओं द्वारा चिन्हित की गई जमीनों और पिछले दिनों की गई रजिस्ट्री की जांच होनी चाहिए।उन्होंने कहा कि खैरथल को जिला मुख्यालय घोषित हुए दो वर्ष हो चुके हैं, राज्य सरकार बजट भी घोषित कर चुकी है तथा कार्यालयों के लिए भूमि का चयन भी हो गया है, लेकिन मिनी सचिवालय का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने इसे जल्द शुरू करवाने की मांग की। इसके अलावा 50 करोड़ की लागत से प्रस्तावित खैरथल बाईपास आरओबी () की स्वीकृति दिसंबर 2024 में रेलवे द्वारा दी जा चुकी है, लेकिन वित्त विभाग की अनुमति के अभाव में टेंडर जारी नहीं हो पा रहे हैं। एमडीआर 25 किशनगढ़बास को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देने और उसे चार लेन करने की मांग दोहराई। साथ ही दिल्ली-अलवर रेपिड रेल के अलवर तक विस्तार की मांग करते हुए केंद्र सरकार की उदासीनता पर नाराजगी जताई।

प्रेस वार्ता के दौरान अलवर जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खेरिया, मुंडावर विधायक ललित यादव, बहरोड से कांठोस के विधायक प्रत्याशी संजय यादव, तिजारा से विधायक प्रत्याशी इमरान खान, प्रधान बीपी सुमन, नेता प्रतिपक्ष विक्की चौधरी, संजीव बारेठ, रोहिताश चौधरी,गिरीश डाटा,बलराम यादव सहित कांग्रेस नेता एवं पार्षद एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

खैरथल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली व विधायक दीपचंद खेरिया।

लीकेज से व्यर्थ बह रहा पेयजल

फुलेरा। स्थानीय नगर पालिका के कई वार्डों में अनेक जगहों पर जलदाय विभाग की पेयजल लाईन में छोटे व बड़ी साइज के लीकेज होने के कारण सप्लाई के दौरान हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है।

वहीं जलदाय विभाग इसके बावजूद इन तमाम लीकेजों को बन्द करने में अभी भी सफल सिद्ध नहीं हो रहा है। हालांकि सूचना मिलते ही प्रशासन लीकेजों को दुरुस्त तो कर देते हैं, लेकिन पाईप लाईन पुरानी होने की वजह से कहीं ना कहीं से डैमेज होती रहती है। इस कारण लीकेज होते रहते है और पेयजल व्यर्थ ही बहता रहता है। पानी की यह बर्बादी कोढ में खाज का काम कर रही है। जिसकी वजह से क्षेत्र की जनता को दो-तीन दिनों के अंतराल से मिलने वाला पानी कई बार 4 से 5 दिनों के अन्तराल में मिलता है। वह भी इन लीकेजों की वजह से लोगों को घरों तक पूरा पानी नहीं पहुंच पाता है। इसके चलते लोग महंगे भावों में पानी के टैंकर डलवाने को मजबूर हो रहे है।

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

455 15-5-25 (आदेश 5 के नियम 1 और 5)

न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजि. स्थान (पश्चिम) जयपुर महानगर द्वितीय

दीपक शर्मा विरूद्ध आदित्य शर्मा

वाद बाबत स्थायी निषेद्याज्ञा वाद सं. 116 सन् 25

नाम आदित्य शर्मा पुत्र परमानंद शर्मा

जाति ब्राह्मण

स्थान निवास F-9/408 विष्णु मार्ग चित्रकुट जयपुर

दीपक शर्मा ने आपके विरूद्ध...के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 23 माह 05 सन् 25 को दिन में 7.30 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/ सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह वाद ता. 15 माह 05 सन 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

रीडर

मोहर

सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट पश्चिम जयपुर महानगर द्वितीय

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

न्यायालय अपर सिविल जज एवं न्यायिक मजि. क्रम-2 जयपुर महानगर प्रथम

श्रीमती सुमन विरूद्ध अजीत सिंह व अन्य

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

वाद सं. 136/25 सन् बनाम अजीत सिंह पुत्र नामालूम जाति स्थान बी-31, ज्योति मार्ग, बापू नगर, जयपुर

वादिया ने आपके विरूद्ध नकल संलग्न है के लिए वाद पंजीकृत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 20 माह 05 सन् 25 को दिन में 8 एएम बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक आदेश दिए गये हो जो इस वाद से संबंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/ सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जावे वाली सूची में प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह वाद ता. माह 17-05-25 सन् को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मोहर

अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि. क्रम-2 जयपुर महानगर प्रथम

नागाजी की गौर में बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटें

कोटपूतली। कस्बे के नागाजी की गौर में अधिकांश सडक लाईटें पिछले कई दिनों से बंद पड़ी हैं। जिससे अंधेरा छाया हुआ है। अंधेरे के कारण आम राहगीरों, स्थानीय निवासियों, विशेषकर महिलाओं व बुजुर्गों को रात्रि में आवागमन में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त क्षेत्र में सीवरेज का कार्य भी जारी है, जिसके कारण सडकों पर गड्ढे हो गये हैं। अंधेरे में इन गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं होने की आशंका बनी रहती है। साथ ही असामाजिक तत्वों की गतिविधियों के बढने का भी भय है, जिससे क्षेत्रवासियों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है। स्थानीय निवासी प्रफुल रमन ने बताया कि नगर परिषद् आयुक्त को कई बार लिखित में सूचनायें दी गई है इसके बावजूद भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे है।

कार ने बाइक को मारी टक्कर, एक की मौत

निवाई। शनिवार की रात एक मोटरसाइकिल के कार ने टक्कर मार दी। इस सडक दुर्घटना में एक जने की मौत हो गई तथा दूसरा घायल हो गया।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही बरोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थानाधिकारी बृजेंद्रसिंह ने बताया कि रामअवतार 40 वर्ष पुत्र बजरंगलाल बैरवा निवासी बादपुर थाना खंडार जिला सवाईमाधोपुर व कमलेश कुमार पुत्र सीताराम बैरवा निवासी धनवा थाना खातोली जिला कोटा ग्रामीण मोटरसाइकिल पर सवार होकर खंडार, सवाईमाधोपुर जा रहे थे। इसी दौरान गांव अभयपुरा मोड पर एक कार ने मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी। इस वाहन दुर्घटना में दोनों जनें गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को पुलिस ने उप जिला अस्पताल निवाई में उपचार के लिए भर्ती करवाया। जहां से दोनों को चिंताजनक हालत में सआदत अस्पताल टोंक रैफर कर दिया। जहां इलाज के दौरान कमलेश कुमार पुत्र सीताराम बैरवा निवासी धनवा पुलिस थाना खातोली जिला कोटा ग्रामीण की देर रात मृत्यु हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिवारजनों को सौंपा।

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना

455 15.5.25 (साधारण प्रारूप)

व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4

न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजि. स्थान (पश्चिम) जयपुर महानगर (द्वितीय)

दीपक शर्मा विरूद्ध आदित्य शर्मा

वाद/ प्रार्थना पत्र 100/25

प्रार्थना-पत्र संख्या अस्थाई निषेद्याज्ञा.. सन्

नाम आदित्य शर्मा पुत्र परमानंद शर्मा

जाति ब्राह्मण

पता F-9/408 विष्णु मार्ग चित्रकुट- जयपुर

उक्त दीपक शर्मा ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि.....

अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 23 माह 05 सन् 2025 को 7.30 AM पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।

यह आज ता. 15 माह 05 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

रीडर

मुहर

सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट पश्चिम जयपुर महानगर द्वितीय

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना

(साधारण प्रारूप)

व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्याक 4

न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि. क्रम-2 जयपुर महानगर प्रथम

श्रीमती सुमन विरूद्ध अजीत सिंह व अन्य

वाद/प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना-पत्र संख्या 74/2025 सन्

नाम अजीत सिंह पुत्र नामामूल जाति पता बी-31, ज्योति मार्ग बापू नगर, जयपुर

उक्त प्रार्थीया ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि नकल संलग्न है।

अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 20 माह 05 सन् 2025 को 8 एएम पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आवेदन की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप में किया जाएगा।

यह आज ता. माह 17-05-25 सन् को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई। मोहर

अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि. क्रम-2 जयपुर महानगर प्रथम

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/269 चूंकि प्रार्थी श्री देवकीनंदन विजय, डी-528, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जयपुर 302017 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास विजयवर्गीय वैश्य समाज समिति, VIJAY VERGIYA SABHA BHAWAN SECTOR - 6 SWAMI RAMCHARAN MARG, MALVIYA NAGAR, JAIPUR - 302017 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 12-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 17/07/2025

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/263 चूंकि प्रार्थी बी UMA SHARMA, HOUSE NO. 3573, MSB KA RASTA, JOHRI BAZAR, JAIPUR, RAJASTHAN-302003 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास वधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास मंदिर श्री विजय गोपाल जी प्रन्यास, HOUSE NO. 3573, MSB KA RASTA, JOHRI BAZAR, JAIPUR, RAJASTHAN-302003 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्मित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 12-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

बाइदा तारीख पेशी 18/07/2025

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 35/2025

(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री पदम शंकर सिंघानिया निवासी 8/73 विद्याधर नगर जयपुर ने पंजीकृत प्रन्यास श्री वेकटेश मंदिर एवं औषधालय प्रन्यास, सुकेसर, सूरजपोल जयपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 16 जयपुर 1984 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रन्यास के प्रन्यासी श्री बनवारी लाल गुप्ता, प. अनन्तराम जी शर्मा, श्री सुरेन्द्र शर्मा तथा श्री परसराम अग्रवाल का स्वर्गवास हो जाने के कारण उनके नाम प्रन्यास रिकार्ड से हटाने तथा उनके स्थान पर श्री प्रदीप सिखवाल, श्रीमती मिनाक्षी पारीक, श्री निरंजन चौहान, श्री मनीष सिघानियां, श्री दीपक गुप्ता की नियुक्ति कर उनके नाम प्रन्यास रिकार्ड में दर्ज अभिलेख किये जाने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन पत्र दिया है।

अतएव धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुए परिवर्तन / संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है, कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 2/5/25 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी गया।

आइदा तारीख पेशी 6/6/25

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

चार मकान व स्कूल के ताले तोड़ चुरा ले गये नगदी व आभूषण

मालपुरा/टोंक। शनिवार की रात्री को शातिर चोरो ने पुलिस की पुख्ता रात्रीगश्त के दावो को ठेंगा दिखाते हुये एक के बाद एक चार मकानो व एक निजी स्कूल के ताले तोड चुरा ले गये नगदी व आभूषण। शनिवार की रात्री को अज्ञात चोरो ने कुरथल रोड स्थित महर्षि गौतम विद्यापीठ स्कुल के ऑफिस के ताले तोड जरूरी सामान की गहन तलाशी की।

स्कूल के पास ही विष्णु सैनी के मकान के ताले तोड कमरे मे सो रहै परिवारजनो को कमरे क दरवाजा बंद कर बक्से के ताले तोड नो हजार रूपये की नगदी व चांदी की पायल व बिछिया सहित घरेलू सामान चुरा ले गये। स्कुल व मकान को निशाना बनाने के बाद भी चोरी का सिलसिला जारी रहा। चोरो ने लालाराम माली के मकान के भी ताले तोड मोबाईल व नगदी चुरा ले गये। देशमा रोड स्थित सेवकराम सैनी के मकान के ताले तोड तकरीबन दस हजार रूपये की नगदी व कपडे सहित घरेलू सामान चुरा ले भागे। रविवार की सवेरे जाग होने पर एक के बाद एक चोरी की वारदातो का पता लगने पर लोगो की भारी भीड जमा हो गई। तत्पश्चात सुचना पर थानधिकारी सत्यनारायण चौधरी पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंच पिडितो के मकान व निजी स्कुल का मौका निरीक्षण कर सीसीटीवी फुटेज देखे तो दो संदिग्ध चोर के फुटेज सामने आये। उन फुटेजो के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरो की तलाशी शुरू की। लोगो ने पुलिस की रात्रीगश्त के साथ-साथ नगरपालिका प्रशासन को बार-बार अवगत करवाये जाने के बावजूद रोड लाईटे चालू नही करवाने पर कडी नाराजगी जताई साथ ही कई मृतबा रात्रीगश्त व्यवस्था मे सुधार की मांग के बावजूद कोई बदलाव नही होने पर भी कडी नाराजगी जताई। थानाधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध चोरो की तलाश की जा रही है।

चोरी की वारदात के बाद बिखरा पड़ा सामान।

मूंगफली व बाजरा में सफेद लट नियंत्रण लिए दिया प्रशिक्षण

- मूंगफली व बाजरा उत्पादक किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन

निवाई। वनस्थली विद्यापीठ के कृषि विज्ञान केन्द्र में मूंगफली व बाजरा उत्पादक किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के लगभग 5० किसानों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा के कीट विज्ञान विभाग के अखिल भारतीय भूमिगत पीडक सन्धिपाद नेटवर्क परियोजना के तहत कृषक प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रभारी बंशीधर चौधरी ने मूंगफली के उत्पादक किसानों को मूंगफली व बाजरा की उन्नत किस्मों, बीज की मात्रा व उर्वरक प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण आदि के बारे में किसानों को जानकारी दी। सफेद लट परियोजना के वैज्ञानिक डॉ. मुकेशकुमार निठारवाल ने किसानों को बताया कि मूंगफली व बाजरा में सफेद लट नियंत्रण के लिए फेरोमोन टेऊप व प्रकाश प्रपंच का प्रयोग किया जाये ताकि सफेद लट के भृंग कीट उसकी ओर आकर्षित होता है जिससे उसको नियंत्रण कर सकते है। खडी फसल में नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एसएल 5०० मिली प्रति हैक्टेयर प्रयोग करें। पौध सरंक्षण वैज्ञानिक डॉ. संदीप कुमार चैधरी ने मूंगफली व बाजरा मे लगने वाले कीटों के बारे मे बताया तथा सफेद लट के भृंग को नियंत्रण करने के लिए मानसून की पहली वर्षा के दिन में खेत के पास के छोटे वृक्ष जैसेनीम, बेर, जामुन आदि पौधो पर कीटनाशी का स्प्रे करें तथा मूंगफली में दीमक व सफेद लट की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 600 एफएस का 6.5 मिली या फिप्रोनिल 5 एससी का 10 मिली प्रति किलो बीज दर से बीजोपचार करके बुवाई करें। वही बाजरा के बीजोपचार के लिए इमिडाक्लोप्रिड 600एफएस का 8.5 मिली प्रति किलो बीज दर से बीजोपचार करके बुवाई करें। मूंगफली व बाजरा में सफेद लट के नियंत्रण हेतु सभी किसानों को किट प्रदान किये गये। इस अवसर पर सफेद लट परियोजना में तकनीकी सहायक पद पर कार्यरत मीनू चौधरी व कृषि विज्ञान केन्द्र के विनीतकुमार द्विवेदी, रामनारायण गुर्जर व श्रवणलाल शर्मा ने सहयोग प्रदान किया।

कार्यालय ग्राम पंचायत जंवाली, पंचायत समिति पीपलू (जिला-टोंक)

क्रमांक-104 दिनांक-17.05.2025

कार्यालय ग्राम पंचायत चोगाई में मेटरियल सप्लाई हेतु फर्म, व्यक्ति अथवा संस्थान से निर्धारित प्रपत्र में के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता विस्तृत दिशा-निर्देश व निविदा प्रपत्र www.sppp.rajasthan.gov.in/ eproc.rajasthan.gov.in डाउनलोड व अपलोड कर सकते है।

UBN NO. ZTN2526GLOB00325

NIB NO. ZTN2526A0339

पंजाब नैशनल बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking)

आयोजना एवं विकास विभाग, प्रथम तल, कृषि उपज मंडी समिति, जयपुर रोड़, सीकर

ई- मेल : cosikarpnd@pnb.co.in

आरसेटी बलेखन (जिला: जयपुर) में "वॉचमेन कम गार्डनर" (कुल पद 1) की भर्ती हेतु

पद का नाम/संख्या - वॉचमेन कम गार्डनर -1 **स्थान/(कार्यस्थल)**- आरसेटी बलेखन जयपुर। **योग्यता एवं अन्य पात्रताएं**- 7वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। कृषि/बागवानी/बागवानी में अनुभव होना चाहिए। **चयन**- साक्षात्कार द्वारा। (अनुबंध 3 वर्षों के लिए वैध होगा, वार्षिक समीक्षा के अधीन बशर्ते कि प्रदर्शन संतोषजनक हो) **कार्य विवरण / जिम्मेदारियां**- 1. परिसर की निगरानी और रखवाली। 2. बागवानी का काम और परिसर का रख-रखाव और रखरखाव। 3. ज़रूरत पड़ने पर परिचारक के कर्तव्यों का पालन करना। 4. निदेशक द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य। **मानदेय:** रु. 12000/- प्रतिमाह। आवेदन की अंतिम तिथि 04.06.2025 है। **आयु सीमा:** विज्ञप्ति जारी होने की तिथि 19.05.2025 को आवेदनकर्ता की न्यूनतम आयु 22 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। **आवेदन कैसे करें**- विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन पत्र हमारी वेबसाइट https://www.pnbindia.in के **"नया क्या है"** अनुभाग में उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र आयु, योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रतियों एवं बायोडाटा के साथ **दिनांक 04.06.2025 को सायं 5.00 बजे तक "योजना एवं विकास विभाग, प्रथम तल, वृत्त कार्यालय-जयपुर-सीकर, केयूएमएस, जयपुर रोड़, सीकर 332001"** पते पर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से जमा करवाएं, अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अंतिम तिथि को सायं 5.00 बजे के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: cosikarpnd@pnb.co.in (आयोजना एवं विकास विभाग, मंडल कार्यालय - जयपुर-सीकर) मो: 9599331546

(मंडल प्रमुख)

मूर्तियों की स्थापना वैदिक मंत्रोच्चार व धार्मिक अनुष्ठान के साथ सम्पन्न

अलवर। दौसा जिले के मरियाडा गांव में एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महायोजना का साक्षी बना जब गांव के कुम्हार मोहल्ला स्थित प्राचीन ठाकुर जी महाराज मंदिर में शिव प्राण प्रतिष्ठा, हनुमान जी महाराज एवं चौथ माता की भव्य मूर्तियों की स्थापना